

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

प्रथम तल, चंद्रलोक बिल्डिंग
36 जनपथ , नई दिल्ली
दिनांक 14 मई, 2024

आदेश

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए मत्स्यपालन विभाग में आंतरिक शिकायत समिति का गठन -के संबंध में

इस विभाग के दिनांक 06.06.2023 के समसंख्यक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार मत्स्य पालन विभाग में आंतरिक शिकायत समिति को निम्नलिखित संरचना के साथ पुनर्गठित किया जाता है:-

- | | |
|--|-------------------|
| I. सुश्री रीना सक्सेना , पीएसओ | : पीठासीन अधिकारी |
| II. सुश्री मीनाक्षी शंकर , अवर सचिव | : सदस्य |
| III. डॉ. पृथ्वी रानी, अनुसंधान अधिकारी (वित्तीय | : सदस्य |
| चतुर्थ. मानसी मिश्रा, सीएसआर (एक एनजीओ) IV. | : सदस्य |
| वी. श्री कृष्ण पाल, अवर सचिव | : सदस्य सचिव |

2. आंतरिक शिकायत समिति, मत्स्यपालन विभाग में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों की जाँच करेगी और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी उपाय तैयार करेगी। यह समिति, पुरुषों और महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु, इस संबंध में प्राप्त शिकायतों, शिकायतों या सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा।

3. समिति को शिकायतों और उनके द्वारा की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, जो मत्स्यपालन विभाग को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4. गैर-सरकारी (उपर्युक्त क्रम संख्या IV) सदस्य को समिति की बैठक में भाग लेने के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

यह सचिव (मत्स्य पालन) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

हस्ता-
(एस.के. झा)
उप सचिव भारत सरकार
दूरभाष संख्या 2331 0338
ई-मेल- sk.jha65@gov.in

को

पीठासीन अधिकारी/समिति के सदस्य

सूचनार्थ प्रतिलिपि:-

मत्स्यपालन विभाग के सभी अधिकारी एवं अनुभाग (ई-ऑफिस के माध्यम से)।

ii. NIC, डीओएफ - इसे डीओएफ वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।